न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–16/2019

निर्णय दिनांकः–28.06.2019

उनवान

1. आशा देवी पत्नि मदनलाल जाति खटीक निवासी निवाई तहसील निवाई
2. प्रेम देवी पत्नि प्रहलाद राय जाति रैगर निवासी भगवानपुरा जरिये मुख्तयार त्रिलोकचन्द पुत्र प्रेमचन्द जैन जाति जैन निवासी गणगौरी बाजार कस्बा निवाई तहसील निवाई

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामरख पुत्र हरिनारायण जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील निवाई
2. केदार पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील निवाई
3. भरत पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील निवाई
4. तहसीलदार निवाई

–अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम
बाबत दुरूस्त किये जाने शीट

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा वकील प्रार्थी/आवेदक
श्री रवि कुमार जैन वकील अनावेदकगण
पेराकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 34 रकबा 03–17 बीघा वाके ग्राम भगवानपुरा तह. निवाई में स्थित है जिसमें प्रार्थी नं. 1 का 1/2 एवं प्रार्थी नं. 2 का 1/2 हक व हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज है जिसके प्रार्थीगण के एकमात्र पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 34 का रकबा 03–17 बीघा है किन्तु राजस्व राजस्व शीट में प्रार्थीगण की भूमि का रकबा बडा दिखा रहा है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 में ही अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 29 की मेड मिली होकर ख.नं. 34 व 29 दोनों को मिलाकर राजस्व शीट में एक ही रकबा तरमीम हो रखी है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि को अलग अलग उनके रकबे के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के मुताबिक राजस्व शीट में तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

किये जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति व असुविधा कारित नहीं होती है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया का उल्लंघन हो रहा है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 रकबा 03–17 बीघा वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील निवाई की राजस्व शीट में पश्चिम मेड से पूर्व की तरफ 03–17 बीघा की तरमीम की जाकर अप्रार्थीगण की भूमि के पूर्व की ओर शेष भूमि अप्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 29 के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उभयपक्षों की ओर से राजीनामा व प्रतिपक्षीगण की ओर से वकालतनामा श्री रविकुमार जैन एडवोकेट ने पेश किया। उभयपक्षों की सहमति से प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई। राजीनामा में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की इस प्रकरण में वर्णित भूमि की राजस्व शीट में उनके रकबे के अनुसार उक्त प्रा.पत्र में वर्णितानुसार शीट में तरमीम कर दी जावे इसमें हम सहमत एवं रजामंद है। तहसीलदार निवाई से तरमीम शुद्धिकरण हेतु मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निवाई आराजी ख.नं. 34 वाके ग्राम भगवानपुरा का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 03–17 बीघा है जो कि शीट में बडा बना हुआ है। ख.नं. 34 के खातेदारों का कब्जा पश्चिमी मेड से पूरब की तरफ 3–17 बीघा पर ही है। शेष पर ख.नं. 29 के खातेदारों का कब्जा है। ख.नं. 29 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 11–06 बीघा है लेकिन शीट में छोटा बना हुआ है मौके पर 11–06 बीघा पर काबिज है। मुताबिक जमाबन्दी कुल रकबा 15–03 बीघा है जो कि मुताबिक वर्तमान शीट के ख.नं. 34 व 29 की रकबा बरारी करने पर भी 15–03 बीघा ही बनता है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 34 रकबा 03–17 बीघा वाके ग्राम भगवानपुरा तह. निवाई में स्थित है जिसमें प्रार्थी नं. 1 का 1/2 एवं प्रार्थी नं. 2 का 1/2 हक व हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज है जिसके प्रार्थीगण के एकमात्र पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 34 का रकबा 03–17 बीघा है किन्तु राजस्व राजस्व शीट में प्रार्थीगण की भूमि का रक़बा बडा दिखा रहा है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 में ही अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 29 की मेड मिली होकर ख.नं. 34 व 29 दोनों को मिलाकर राजस्व शीट में एक ही रकबा तरमीम हो रखी है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि को अलग अलग उनके रकबे के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के मुताबिक राजस्व शीट में तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति व असुविधा कारित नहीं होती है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया का उल्लंघन हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 रकबा 03–17 बीघा वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील निवाई की राजस्व शीट में पश्चिम मेड से पूर्व की तरफ 03–17 बीघा की तरमीम की जाकर अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

की भूमि के पूर्व की ओर शेष भूमि अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 29 के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान किया जावे। वकील प्रतिपक्षीगण ने बहस में निवदेन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की इस प्रकरण में वर्णित भूमि की राजस्व शीट में उनके रकबे के अनुसार उक्त प्रा.पत्र में वर्णितानुसार शीट में तरमीम कर दी जावे। पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में मुताबिक मौका रिपोर्ट विधिसंगत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 रकबा 03—17 बीघा वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील निवाई की राजस्व शीट में पश्चिम मेड से पूर्व की तरफ 03—17 बीघा की तरमीम की जाकर अप्रार्थीगण की भूमि के पूर्व की ओर शेष भूमि अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 29 के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner